न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 02/2025 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये सुश्री रेखा, प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय ज़िला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा फर्म पंडित कचौरी वाला, मानपुर चौराहा सिकराय।

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. अप्रार्थी बजरंग लाल स्वयं।

जब्तशुदा 05 घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. 22.19 किलोग्राम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने बाबत।

निर्णय

दिनांकः 26.3.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 इस प्रकार है कि प्रर्वतन निरीक्षक सिकराय के द्वारा दिनांक 28.1.2025 को जिला रसद अधिकारी दौसा एवं प्रवर्तन दस्ते के द्वारा फर्म पंडित कचौरी वाला मानपुर चौराहा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान श्री बजरंग लाल शर्मा द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 गैस के दुरूपयोग करने पर मौके पर पाये गये कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 22.19 किलोग्राम एल0पी0जी0 को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाध विभाग के पत्र दिनांक 10.9.2024, 19.9.2024, 7.10.2024 द्वारा दिनांक 17.9.2024 से दिनांक 27.9.2024 तक की निरन्तरता में संपूर्ण जिले में घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध गैस रिफिलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 28.1.2025 को फर्म पंडित कचौरी वाला मानपुर चौराहा उका आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा जांच करने पर पाया कि फर्म पंडित कचौरी वाला मानपुर चौराहा की दुकान में घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग करना पाया गया। वक्त निरीक्षण में श्री बजरंग लाल शर्मा द्वारा ने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। मौके पर स्टाफ व गवाहों के समक्ष जांच करने पर 05 घरेलू गैस का दुरूपयोग करना पाया गया। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार फर्म पंडित कचौरी वाला मानपुर चौराहा जिला दौसा के मालिक श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का अवैध व्यावसायिक कार्यो में उपयोग कर दुरूपयोग किया जारना प्रथम दृष्ट्या पाया गया। मौके पर परेवा भारत गैस ग्रामीण एल0पी0जी0 वितरक मानपुर सिकराय के वाहन चालक श्री राजेश बैरवा पुत्र भगवानसहाय [illegible] मशीन से तोलने की कार्यवाही की गई। मौके पर प्राप्त सिलेण्डरों व अन्य जब्त साम[illegible]रण निम्नानुसार हैः—

कसं	सिलेण्डर श्रेणी	नाम गैस कंपनी	सीरियल नंबर	भरे हुए सिलेण्डर का [illegible] (किलोग्राम)	[illegible] सिलेण्डर वजन (किलोग्राम)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम)	अन्य जब्त सामग्री
1	घरेलू	बीपीसीएल	850557 टी	19.31	[illegible]5.7	3.61	सिलेण्डर गैस भट्टी
2	घरेलू	बीपीसीएल	772888 टी	24.00	15.8	8.20	
3	घरेलू	बीपीसीएल	74912 एस	19.00	17.00	2.00	
4	घरेलू	बीपीसीएल	982560 टी	17.54	15.08	2.46	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

5	घरेलू	एचपीसीएल	274856 एफ	21.00	15.08	5.92	
		कुल गैस		100.85	78.66	22.19	

इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्त 05 घरेलू सिलेण्डरों एवं उनमें भंडारित 22.19 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस, को जब्त कर कब्जे राज लिया गया। उक्त जब्त गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी.व अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से परेवा भारत गैस ग्रामीण एल0पी0जी0 वितरक मानपुर के वाहन चालक श्री राजेश बैरवा पुत्र भगवानसहाय बैरवा को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार फर्म पंडित कचौरीवाला मानुपर चौराहा सिकराय जिला दौसा के मालिक श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम द्वारा उक्तानुसार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 22.19 किलोग्राम तथा अन्य जब्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

4. दौराने बहस अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी की एक दुकान पंडित कचौरीवाला के नाम से मानपुर चौराहा पर संचालित है। दिनांक 28.1.2025 को प्रातः 10.00 बजे के आस पास ग्राम मानुपर व पांचोली के हंसराज गुर्जर, बाबूलाल शर्मा, दिनेश चन्द शर्मा, महेश चन्द शर्मा, गीता देवी ने गैस सिलेण्डर पास बुक सहित 05 गैस सिलेण्डर भरवाने केग लिए मेरी दुकान पर रख कर चले गये थे तथा यह कह कर गये थे कि सिलेण्डर की गाडी आये तो हमारे सिलेण्डर भरवा लेना औंर भरने के बाद हम हमारे सिलेण्डर जे जायेंगे। दिनांक 28.1.2025 को ही समय दोपहर 2.00 बजे के आस पास प्रवर्तन निरीक्षण दल द्वारा अप्रार्थी की दुकान पर आकर उक्त पांचों सिलेण्डरों को जब्त कर लिया। उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं थे। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डरों के ग्प्रहकों की पास बुक की प्रति भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं है। उक्त सिलेण्डरों से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरण का निस्तारण फरमाने की कृपा करें।

5. हमने विभागीय पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध गैस रिफिलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 28.1.2025 को फर्म पंडित कचौरी वाला मानपुर चौराहा उका आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा जांच करने पर पाया कि फर्म पंडित कचौरी वाला मानपुर चौराहा की दुकान में घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग करना पाया गया। वक्त निरीक्षण में श्री बजरंग लाल शर्मा द्वारा ने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। मौके पर स्टाफ व गवाहों के समक्ष जांच करने पर 05 घरेलू गैस का दुरूपयोग करना पाया गया। इस प्रकार श्री श्री बजरंग लाल शर्मा द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी श्री बजरंग लाल शर्मा ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। हाल ही में भांकरोटा की गैस त्रासदी जैसी दुखद घटना भी हुई है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order,** 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 22.19 किलोग्राम मय सिलेण्डर गैस भट्टी को राजसात (**Confiscate**) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली निर्धारित अवधि हेतु रिकार्ड नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:58 IST
Reason: SelfAttested